संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./6/बजट–2210/2018/892 भोपाल,दिनांक 31/12/2018

प्रति,

1. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.।
3. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.।
4. समस्त जिला मलेरिया अधिकारी, म.प्र.।
5. संचालक, राज्य क्षय प्रशिक्षण केन्द्र, ईदगाह हिल्स, भोपाल।
6. समस्त प्राचार्य, नर्सिंग कॉलेज उज्जैन/जबलपुर , म.प्र.।
7. समस्त प्राचार्य, प्रशिक्षण केन्द्र, जिला– ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, म.प्र.।
8. अधीक्षक, श्यामाप्रसाद मुखर्जी अस्पताल ईटारसी/रानी दुर्गावती जबलपुर/के.एन.के. भोपाल/टी.बी. अस्पताल भोपाल/छतरपुर/छिंदवाड़ा/जबलपुर/सिविल अस्पताल बैरागढ़/मनोरमा राजे टी.बी. अस्पताल इन्दौर।

विषय :– वेतन न मिलने की समस्याओं का समाधान।

––0––

विषयांतर्गत संचालनालय में वेतन नियमित रूप से न मिलने संबंधी प्रकरण सूचित किये जाते हैं या दूरभाष पर सूचित किये जाते हैं। सामान्य रूप से वेतन न मिलने के निम्न कारण हो सकते हैं :–

	समस्या	समाधान
1	संबंधित मद में राशि न होना।	सही सेग्मेंट कोड एवं स्कीम से ही राशि आहरण करना हैं। राशि न होने पर मुख्यालय स्तर पर पुनर्विनियोजन किया जाता हैं। वर्तमान में किया गया हैं।
2	स्वीकृत पद की मैपिंग आयुक्त कोष एवं लेखा के सर्वर पर न होना।	मैदानी कार्यालय की मांग पर मुख्यालय से कार्यवाही होगी।
3	यूनिक एम्पलाई कोड एवं प्रान नं. जनरेट न होना।	पूर्व से ही इस संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं। प्रतिलिपि विभागीय वेबसाईट वित्त प्रभाग में निर्देश हैं ।
4	संबंधित कार्यालय से विलंब होना।	मैदानी कार्यालय इसको देखे। नियमानुसार कार्यवाही करें।
5	उपस्थित प्रमाणित न होना।	मैदानी कार्यालय इसको देखे। नियमानुसार कार्यवाही करें।
6	दीर्घ अनुपस्थिति के प्रकरण।	मैदानी कार्यालय इसको देखे। नियमानुसार कार्यवाही करें।
7	कोई विशेष कारण	

उपर्युक्त प्रकाश में बिन्दु–2 के संबंध में लेख हैं कि जिस किसी आहरण एवं संवितरण अधिकारी के कार्यालय में यह बिन्दु हो वह मुख्यालय की स्थापना शाखा/विकास शाखा के

अधिकारियों से अविलंब संपर्क करें। ताकि संबंधित शाखा के अधिकारी तदानुसार प्रकरण को देखकर पूर्व की भांति आयुक्त कोष एवं लेखा कार्यालय भोपाल में शासन के स्वीकृति आदेश एवं संबंधित पद को मैपिंग करने संबंधी आदेश प्रेषित कर सकेंगे। इस कार्य की समय–सीमा अनिवार्य रूप से दिनांक 08 जनवरी 2019 तक अनिवार्यतः मुख्यालय को सूचित किया जाए ताकि मुख्यालय से दिनांक 15 जनवरी 2019 तक ततसंबंधी कार्यवाही सुनिश्चित करवाई जा सके।

31/12/18

(डॉ0 राजीव सक्सेना)
अतिरिक्त संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
म0प्र0

पृ.क्र/6/बजट–2210/2018–19/893 भोपाल,दिनांक 31/12/2018

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ प्रेषित।

1. आयुक्त स्वास्थ्य, मध्यप्रदेश।
2. अपर संचालक, प्रशासन/संयुक्त संचालक, विकास संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएें की ओर भेजकर अनुरोध हैं कि आयुक्त कोष एवं लेखा को प्रेषित प्रति बजट शाखा को भी दी जाए ताकि इस संबंध में कोष एवं लेखा कार्यालय से समन्वय किया जाकर समस्या का निराकरण किया जा सके।
3. प्रभारी MIS

31/12/18

अतिरिक्त संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
म0प्र0

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./6/बजट/2018/888 भोपाल,दिनांक 31/12/2018

प्रति,

1. समस्त, क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.।
2. समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी म.प्र.।
3. समस्त, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.।
4. अधीक्षक–जे.एस.आर इटारसी /रानी दुर्गावती जबलपुर /के.एन.के.भोपाल/ टी.बी. अस्पताल भोपाल/छतरपुर/छिन्दवाड़ा/जबलपुर/सिविल अस्पताल बैरागढ़।

विषयः– पेंशनर्स योजना 6105 के संबंध में ।

0000

विषयांतर्गत राज्य सरकार के पेंशनर्स हेतु औषधि एवं सामग्री हेतु योजना कमांक 6105 से नियमानुसार राशि व्यय किए जाने हेतु राशि आवंटित की जाती है । पेंशनर्स को समास्या उत्पन्न न हो अतः अन्य योजनाओं से पूर्ति की जा सकती है, पूर्व में इस संबंध में सूचित किया गया था, इसी के साथ पेंशनर्स योजना 6105 का व्यय पेंशनर्स हेतु निरंतर समायोजित किया जाये ताकि पेंशनर्स को कोई समास्या उत्पन्न न हो ।

(डॉ0 बी0एन0 चौहान)
संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
म0प्र0

पृ.क्र/6/बजट–2210/2018–19/889 भोपाल,दिनांक 31/12/2018

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ प्रेषित।

1. आयुक्त स्वास्थ्य, मध्यप्रदेश।
2. अपर संचालक, प्रशासन, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, भोपाल म0प्र0 ।
3. प्रभारी M.I.S ।

संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
म0प्र0

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं
मध्यप्रदेश

क्र./6/बजट–2210/2018–19/880 भोपाल, दिनांक 29/12/2018

प्रति,

1. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.।
3. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.।
4. समस्त जिला मलेरिया अधिकारी, म.प्र.।
5. संचालक, राज्य क्षय प्रशिक्षण केन्द्र, ईदगाह हिल्स, भोपाल।
6. समस्त प्राचार्य, नर्सिंग कॉलेज उज्जैन/जबलपुर, म.प्र.।
7. समस्त प्राचार्य, प्रशिक्षण केन्द्र, जिला– ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, म.प्र.।
8. अधीक्षक, श्यामाप्रसाद मुखर्जी अस्पताल ईटारसी/रानी दुर्गावती जबलपुर/के.एन.के. भोपाल/टी.बी. अस्पताल भोपाल/छतरपुर/छिंदवाड़ा/जबलपुर/सिविल अस्पताल बैरागढ़/मनोरमा राजे टी.बी. अस्पताल इन्दौर।

विषय :– न्यायालयीन जवाबदावा प्रस्तुत करने में प्रति प्रकरण अधितम तक सीमा।

––0––

विषयांतर्गत संचालनालय के अधीन विभिन्न कार्यालयों/न्यायालयों में शासन की ओर से उत्तर प्रस्तुत करने में लिपिकीय कार्य आदि जैस हलकनामा, टाईपिंग, फोटोकॉप एवं अन्य लिपिकीय कार्य हेतु बजट की मांग की जाती हैं। न्यायालयीन कार्य को समुचित रूप से करने हेतु अधिकतम प्रति प्रकरण रू. 2,500/– तक व्यय, कार्यालयीन व्यय अंतर्गत अनुमत्य किया जा सकता हैं।

संचालक द्वारा अनुमोदित :-

(डॉ.राजीव सक्सेना)
अतिरिक्त संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
म.प्र.

पृ.क्र./6/बजट–2210/2018–19/881 भोपाल, दिनांक 29/12/2018

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश।
3. प्रभारी एम.आई.एस., उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
म.प्र.

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/6/बजट–2210/2018–19/878 भोपाल,दिनांक 28/12/2018

प्रति,

समस्त, क्षेत्रीय संचालक,
स्वास्थ्य सेवाऐं,
मध्यप्रदेश।

विषय :– कॉर्पोरेशन से प्राप्त 31.03.2017 अंत तक एवं नॉन आर.सी. आयटम की 31.03.2018 तक की स्थिति में लंबितिकरण का निराकरण।

संदर्भ :– संचालनालय का पत्र क्रमांक/6/बजट–2210/2018–19/863 दिनांक 24.12.2018।

––––000––––

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम मे लेख है कि कॉर्पोरेशन से प्राप्त लंबितिकरण की राशि के देयक 31.03.2017 अंत तक की स्थिति मे नियमानुसार निराकरण एवं नॉन आर.सी. आयटम में जो लंबितिकरण की अनुशंसाए आपके द्वारा प्राप्त हुई है, उनमे संदर्भित पत्र मे उल्लेखित वित्तीय वर्ष 2017–18 की अवधि के देयकों को भी सम्मिलित किया जावें।

अतः लंबितिकरण के निराकरण होने से जहॉ एक ओर वित्तीय प्रबंधन उचित होगा, वही दूसरी ओर देयताओं का भी निराकरण हो जायेगा।

(संचालक द्वारा अनुमोदित)

(डॉ राजीव सक्सेना)
अपर संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/6/बजट–2210/2018–19/879 भोपाल,दिनांक 28/12/2018

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, मध्यप्रदेश।
3. समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।
4. समस्त, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
5. प्रभारी, एमआईएस, विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।

अपर संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश

क्रमांक 6/बजट–2210/2018–19/866 भोपाल, दिनांक 26/12/2018

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला – देवास
मध्यप्रदेश।

विषय :– कॉर्पोरेशन से प्राप्त 31.03.2017 अंत तक की स्थिति में लंबितीकरण का निराकरण।

—0—

विषयांतर्गत इस पत्र से संलग्न म.प्र. पब्लिक हेल्थ सर्विस कॉर्पोरेशन भोपाल से प्राप्त दिनांक 22.11.2018 के अनुसार सूची जिसमें कि विभिन्न प्राधिकारियों के लंबितीकृत भुगतान जो कि एम.पी. औषधि सॉफ्टवेयर में अंकित हैं दर्शाये गए हैं संलग्न हैं। कॉर्पोरेशन ने यह अवगत कराया हैं कि यह लंबितीकरण वर्ष 2015 से 31.03.2017 तक की अवधि के हैं।

2/ कॉर्पोरेशन के इस लंबितीकरण की सूची में संभव हैं आपने पूर्व में कतिपय क्रय आदेशों का भुगतान किया हो परन्तु उनको सॉफ्टवेयर में अंकित नहीं किया। अतः यदि पूर्व में क्रय आदेशों का भुगतान कर दिया हैं तो उसको अविलंब 7 दिवस के अन्दर कॉर्पोरेशन के सॉफ्टवेयर पर अंकित करे एवं कॉर्पोरेशन के अधिकारियों से कार्य पूर्णता बावत प्रमाण–पत्र प्राप्त करें नमूना संलग्न हैं। इसकी कॉपी कार्पोरेशन, क्षेत्रीय संचालक एवं संचालनालय को उपलब्ध करायें।

3/ जहाँ भुगतान नहीं हुआ हैं उनके क्रय आदेशों का नियमों के प्रकाश में परीक्षण करें एवं यदि यह उचित हैं तो संबंधित क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाऐं से अनुशंसित करवाकर कोषालय में देयक भुगतान हेतु प्रस्तुत करेंगे। इन प्रकरणों जहाँ आपको प्रतीत होता हैं कि वित्तीय अनियमितता हैं वहाँ संबंधितों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव भी क्षेत्रीय संचालक के माध्यम से संचालनालय शीघ्र भिजवायें। प्रमाण–पत्र की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित कार्यालय प्रमुख का होगा। यहाँ भी कॉर्पोरेशन के औषधि सॉफ्टवेयर में भुगतान की एंट्री करनी होगी। क्षेत्रीय संचालाकों द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण–पत्र संलग्न हैं। **चिन्हांकित क्रयादेशों के विरूद्ध ही भुगतान कर सकेगें जो इस पत्र के साथ संलग्न है ।** अन्यथा किसी स्थिति में या राशि शेष रहने पर बीसीओ को राशि वापस करेंगें । अन्य कार्यो हेतु कदापि उपयोग नहीं करेंगें ।

निरंतर 2........

4/ यद्यपि यह भी कि संलग्न सूची अनुसार संबंधित शीर्षो में आपको राशि आवंटित की जा रही हैं परन्तु कोषालय में आप देयक तभी लगा पायेंगे जबकि उपर्युक्त बिन्दु 3 अनुसार प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले **(इस कार्य हेतु समय सीमा 28 दिसम्बर 2018 हैं)** राशि का नियमानुसार संपूर्ण उपयोग हो एवं समय की बचत हो, इस हेतु नियत तिथि तक विशेष वाहक के माध्यम से उक्त कार्यवाही श्रेत्रीय संचालक से अनुशंसित करवाये समय सीमा अशिथिलनीय है। अनिवार्य रूप से भुगतान के बाद कॉर्पोरेशन के सॉफ्टवेयर में अंकित करने का उत्तरदायित्व भी आपका हैं। इस संबंध में आप एवं आपके लेखापाल व्यक्तिशः उत्तरदायी होंगे। भुगतान करने के बाद कॉर्पोरेशन में अंकन का प्रमाण–पत्र भी संलग्न हैं इसी के साथ संबंधित फर्म को भी सूचना उनके ई–मेल आदि पर तत्काल देनी होगी।

आप एवं आपके लेखापाल का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे भुगतान करने के पूर्व नियमों के प्रकाश में आवश्यक कार्यवाही करें। इस पत्र की प्रति विभागीय बेवसाइट पर अपलोड कराई जा रही है ।

संचालक द्वारा अनुमोदित।
संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(डॉ.राजीव सक्सेना)
अतिरिक्त संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
म.प्र.

पृ. क्रमांक 6/बजट–2210/2018–19/867 भोपाल, दिनांक 26/12/18

प्रतिलिपि :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश।
3. प्रबंध संचालक, कॉर्पोरेशन की ओर भेजकर निवेदन हैं कि संबंधित कार्यालय प्रमुखों के प्रमाण–पत्रों पर भुगतान के उपरांत सॉफ्टवेयर में अंकितीकरण एवं उनके सत्यापन हेतु किसी सक्षम अधिकारी को नियोजित करने का कष्ट करें।
4. समस्त क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाऐं की ओर कृपया इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही हो यह सुनिश्चित करायें दिनांक 28.12.2018 तक अनिवार्य रूप से संबंधित प्रकरणों में कार्यवाही होनी है इसका अनुश्रवण आप व्यक्तिगत रूप से करें जहॉ अनियमितता पाई जाती है उस संबंध में प्रस्ताव संचालनालय को प्रेषित करें।
5. प्रभारी एम.आई.एस. की ओर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
म.प्र.

Pending Payments for Corporation Software District MaterialState Budget Period (01-Oct-2015 to 31-Mar-2017)

		Material 34-009					Date 14-12-2018
Store Name	Category	PO Genrate Finding Source	P O Number	P O Amt	Pending Amt	कॉलम 3 के विरूद्ध लेखाशीर्ष जिससे राशि दी जा रही है	आवंटित की जाने वाली राशि
1	2	3	4	6	7	8	9
Dewas-CMHO	Material	19-2210-03-103-9999-2777-34-009	10281705617	93135	88700	19-2210-03-103-0101-2777-34-009	**88700**
Dewas-CMHO	Material	19-2210-03-103-9999-2777-34-009	10281705618	93135	88700	19-2210-03-103-0101-2777-34-009	**88700**
Grand Total				**186270**	**177400**		**177400**